



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-४

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-४१

लाइसेन्सडू पोस्ट विडाउट प्रीपेमेंट

10

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अक्टूबर, 1988
आश्विन 21, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1917/सत्रहवि-1-1 (क) 12-1988
लखनऊ, 13 अक्टूबर, 1988

अधिसूचना

विधायी

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 13 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1988)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा संक्षिप्त नाम और
जुयगा। प्रारम्भ

(2) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
11 सन् 1966
की धारा 29 का
संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का
संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

निरसन और
उपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम्युक्त उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 7 सन्
1988

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1917 (2) /XVII-V-1-(KA) 12-1988

Dated Lucknow, October 13, 1988

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 13, 1988.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1988

(U. P. Act No. 13 OF 1988)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY, enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 24, 1988.

Amendment of section 29 of U. P. Act No. XI of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6) in the first proviso for the word and figures "June 30, 1988" the word and figures "December 31, 1988" shall be substituted.

Amendment of section 35

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6) in the proviso, for the word and figures "June 30, 1988" the word and figures "December 31, 1988" shall be substituted.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance no. 7 of 1988

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.